न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 27/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/112

अपीलाण्ट्स :—	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :—
1. पेपी बाई पुत्री कूपाराम निवासी पाचेटिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन पाली 2. भंवरी पुत्री कुपाराम निवासी आकेली तहसील पाली जिला पाली 3. तीजो देवी पुत्री कुपाराम निवासी कूरना तहसील पाली ज़िला पाली		1. सोनाराम पुत्र कुपाराम 2. कमला देवी पत्नी कुपाराम 3. चमनाराम पुत्र कुपाराम जातिगण देवासी निवासी केनपुरा तहसील पाली जिला पाली 4. प्रियंका बालिया पत्नी अशोक बालिया जाति जैन निवासी B- No 13 Dev Darshan Enclave survey no 25 ABC Chandulal Bowli 2 Diamond point nicolson road Tirumalagiri Hyderabad (Telangana) 5. मोहनलाल पुत्र जीवाराम जाति निवासी केनपुरा तहसील पाली जिला पाली 6. भूमिधारी तहसीलदार पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 एवं आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सी पी सी

उपस्थित :—अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित
रेस्पो. संख्या 03 के आम मुख्तियार महेन्द्र कुमार बालिया की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :—10.03.2026

जिला कलेक्टर, पाली

जैर प्रकरण के संबंध में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत 27.06.2025 को प्रस्तुत हुई जो न्यायालय हाजा में दिनांक 27.06.2025 को पंजीकृत हुई। दौराने कार्यवाही अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 एवं आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील में वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1743/3 रकबा 43

बीघा 17 बिस्वा भूमि ही है जो अपील प्रस्तुती के समय रेस्पो. संख्या 01 लगायतं 05 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी एवं उसी अनुसार जैर अपील में रेस्पोडेण्ट को बतौर पक्षकार संयोजित कर दिया। न्यायालय हाजा द्वारा तारीख पेशी दिनांक 22.07.2025 को रेस्पो. के सम्मन पर रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 की फौत होने की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने पर ही मुझ अधिवक्ता को इसकी जानकारी प्राप्त हुई। अपीलाण्ट ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है जिन्हें विधि व कानून का ज्ञान नहीं होने से उक्त त्रुटि कारित हुई है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमावे एवं रेस्पोडेण्ट सोनाराम पुत्र कूपाराम के विधिक वारिसानों को जैर अपील में संशोधन कर बतौर रेस्पोडेण्ट पक्षकार बनाया जाये एवं विलम्ब को कण्डोन किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 03 अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने मृत व्यक्तियों को रेस्पोडेण्ट संयोजित कर अपील प्रस्तुत की है जिसके कारण अपील Nullity होने से खारिज की जाये। मृतक रेस्पोडेण्ट की जानकारी अपीलाण्ट को अच्छे प्रकार से थी क्योंकि मृतक रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट के आस–पास गांव के निवासी है व न्यायालय को misleadकरने की कोशिश की है जिससे अपीलाण्ट न्यायालय से किसी दया कें पात्र नहीं है। अतः जैर अपील मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत करने के कारण अपीलNullityहोने से खारिज की जावे।

प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अपीलाण्ट द्वारा भी यह कहीं नहीं कहा गया है कि मृत्त रेस्पोडेण्ट की मृत्यु दौराने अपील विचारण हुई हो जबकि अपीलाण्ट ने तो स्वयं ने भी यह स्वीकार किया है कि रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 की मृत्यु जैर अपील पेश करने से पूर्व ही हो गई थी। माननीय न्यायालयों की विभिन्न न्यायिक नजीरे AIR (33) 1946 Sind page no 20पर प्रस्तुत की जिसमें वर्णित किया गया है कि मृत्त व्यक्तियों को आदेश 01 नियम 10, आदेश 22 नियम 04, नियम 09 के तहत संस्थित नहीं किया जा सकता। एक अन्य न्यायिक नजीरे RRT 2012 (1) page no 189,जिसमें यह वर्णित किया गया है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध शून्य प्रभावी व खारिज होने योग्य है।

माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीर जैर प्रकरण में यह स्पष्ट है कि रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 की मृत्यु अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुकी थी तथा मृत्त पक्षकारों के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा वर्णित किन्ही भी प्रावधानों के तहत पक्षकारों को जिनकी अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है उनके विधिक वारिशान को संयोजित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मृत्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रस्तुत अपील Nullity (शून्य) होती है।ऊपर वर्णित न्यायिक नजीरों में भी यही विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

अतएव अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.08.2025 खारिज किया जाता है जिसके परिणामतः जैर अपील खारिज की जाती है तथा न्यायहित में अपीलाण्ट को सुसंगत सभी पक्षकारों को संयोजित करते हुए अपील नये सिरे से प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली